सत्यमेव जयते

प्रसार भारती/PRASAR BHARATI
(भारत का लोक सेवा प्रसारक)/(INDIA'S PUBLIC SERVICE BROADCASTER)
आकाशवाणी, जोधपुर (राज.)/AKASHVANI, JODHPUR (RAJ.)
क्लस्टर कार्यालय/CLUSTER OFFICE
E-mail Id – jodhpur@prasarbharati.gov.in/Phone – 0291-2544183

सं–जोध 16(2)/2025–26/एस/सुरक्षा/ दिनांक – 31.07.2026

अतिरिक्त नियम व शर्तें

इस बिड के संविदा कर्मी प्रदाता एजेसीं को सफलता पूर्वक अवार्ड होने पर आकाशवाणी जोधपुर (राज.) जो इस अनुबंध में प्रथम पक्ष कार होगा तथा संविदा कर्मी प्रदाता एजेसीं जो इस अनुबंध में द्वितीय पक्षकार के नाम से जाना जायेगा, जेम अनुबंध में उल्लेखित शर्तो के अतिरिक्त, अधोलिखित शर्तो पर आवयकतानुसार भारत सरकार द्वारा अनुमोदित दैनिक दरों संविदा कार्मिक लोकेशन आकाशवाणी जोधपुर स्टूडियो भवन में 03 गेट ऑपरेटर, 05 डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, 01 एमटीएस (इलेक्ट्रिकल हेल्परं) और 03 एमटीएस (सफाई), आकाशावाणी ट्रांसमीटर सूरसागर जोधपुर 03 गेट ऑपरेटर एवं एफ एम आकाशावाणी मसूरिया में 03 गेट ऑपरेटर, एवं एफ.एम फलोदी, जालौर, पाली मे एक–एक एमटीएस में उपलब्ध करवाएगा जिसकी शर्ते निम्नलिखित होगी –

01. यह अनुबंध 01 सितम्बर 2026 से 31 अगस्त 2027 तक की अवधि तक मान्य होगा।
02. यह अनुबध उपरोक्त अवधि के बाद या पूर्व मे आउट सोर्स मैन पावर की संख्या को प्रथम पक्षकार द्वारा बढ़ाया/घटाया जा सकेगा।
03. प्रथम पक्षकार द्वारा 24 घण्टे की सूचना/ज्ञापन देकर कभी भी इस अनुबंध को बिना कारण बताये समाप्त किया जा सकेगा।
04. द्वितीय पक्षकार द्वारा उपलब्ध करवाये जाने वाले संविदा कार्मिकों को भारत सरकार द्वारा समय समय पर अनुमोदित दैनिक दरों पर प्रतिदिन पारिश्रमिक तथा नियमानुसार अन्य आवयक वैधानिक भुगतान किया जायेगा, जिनका विवरण वर्तमान में निम्नानुसार है :–

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के आदेश संख्या 1/6(3)/2025–**LS-II** दिनांक 30.03.2026 के अनुसार)

अकुशल श्रमिक MTS (Unskilled) {Gate operator / Sweeper/ Gardener/ Electrical Helper}	अकुशल श्रमिक MTS (Unskilled) {Gate operator / Sweeper}	कुशल श्रमिक Data Entry Operator (DEO) {Data Entry Operator}
(अ) दैनिक मजदूरी रू. 693/– (जोधपुर)	**(ब) दैनिक मजदूरी रू. 556/–** (फलोंदी,जालौर, पाली)	**(स) दैनिक मजदूरी रू. 918/–** (जोधपुर)

अन्य वैधानिक राशि

(ब) EPS:(8.33%)
(स) EPF:(3.67%)
(द) ESIC:(3.25%)
(य) EDLI : (0.5%) (Max. Rs 75/- only)
(र) PF Admin Charge : (0.5%)

उपरोक्त मासिक दरों व वैधानिक भुगतान को एजेसीं द्वारा माह के प्रथम सप्ताह में किया जाकर प्रत्येक माह की 10 तारीख में प्रस्तुत करना होगा उक्त बिल के साथ संबधित माह के कार्मिक के पारिश्रमिक व उसके अनुरूप जमा करवाई गयी वैधानिक राशियों के जीएसटी चालान जमा करवाने की रसीद तथा स्टेटमेंट की प्रतिलिपियां मासिक आधार पर मासिक भुगतान का बैंक स्टेटमेंट सलंग्न करने पर ही कार्यालय द्वारा भुगतान उस माह के अंत तक किया जा सकेगा।

05- प्रथम पक्ष द्वितीय द्वारा उपलब्ध कराये गए सवंदा कार्मिकों की उपस्थिति प्रत्येक माह की 05 तारीख तक भेजेगा। उपस्थिति के आधार पर द्वितीय पक्षकार द्वारा प्रथम पक्षकार को बिल प्रस्तुत करने के उपरांत प्रथम पक्षकार द्वारा भुगतान किया जायेगा।

06- स्त्रोत पर आयकर टीडीएस एवं समय समय पर प्रभावी करों की नियमानुसार द्वितीय पक्षकार को दिए जाने वाले भुगतान से की जाएगी।

07- GST नियमानुसार फर्म को अथवा RCM आधार पर (जैसा भी लागू हो) के अनुसार किया जायेगा।

08- फर्मको GST का भुगतान आकाशवाणी द्वारा किए जाने पर , फर्म को प्रत्येक माह के बिल के साथ पिछले माह के बिल के एवज में कि गए GST भुगतान को यथासमय GST विभाग को जमा करने के दस्तावेज (GST R1). प्रस्तुत करने होंगे।

09- इस अनुबंध के आधार पर कार्य पर भेजे जाने वाले संविदा कार्मिकों को किसी भी स्थिति में नियमित नहीं माना जायेगा। यदि कार्मिक इस सबंध में भविश्य में नियमित रोज़गार हेतु कोई दावा पेश करता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी द्वितीय पक्षकार की होगीं। इस सबंध में जोधपुर/ प्रसार भारती/ भारत सरकार का कोई भी न्यायिक/ विधिक/ वित्तीय उत्तरदायित्य नहीं होगा। सभी परिस्थितियों मे द्वितीय पक्षकार ही संविदा कार्मिक का मुख्य नियोक्ता रहेगा साथ ही संविदा कार्मिकों के बारे में द्वितीय पक्षकार द्वारा यह सुनिशिचत किया जाना अनिवार्य है कि वह अनैतिक कार्यो में लिप्त न हो, आपराधिक कृत्यों में शामिल न हो पूर्व सजायाप्ता न होने के साथ उसके विरूद्व कोई फौजदारी मुकदमा लंबित न हो इनमें में कोई भी स्थिति पाए जाने पर उसे किसी भी समय कार्य से हटा दिया जायेगा इस संबधित समस्त जिम्मेदारी द्वितीय पक्षकार की होगी।

10- कोई संविदा कार्मिक अवकाश पर रहता है तो उसके एवज में तत्काल दूसरा कार्मिक द्वितीय पक्षकार द्वारा लगाया जायेगा।

11- संविदा कर्मी डयूटी पर किसी प्रकार का नशा इत्यादि नहीं करेगा।

12- बिना कोई कारण बताये अनुबंध समाप्त करने का सम्पूर्ण अधिकार प्रथम पक्षकार के पास सदैव सुरक्षित रहेगा।

13- संविदा कार्मिक की संख्या आवश्यकतानुसार साल के दौरान मासिक आधार पर धटाने एवं बढाने का अधिकार आकाशवाणी जोधपुर को होगा।

14- यदि कार्य स्थल पर संविदा कार्मिक के साथ कोई घटना कोई दुर्घटना या जानमाल की जोखिम होती है समस्त जिम्मेदारी द्वितीय पक्षकार की होगी आकाशवाणी जोधपुर/ प्रसारभारती/ भारत सरकार किसी प्रकार के विधिक/ न्यायिक/ वित्तीय उतरदायित्य इत्यादि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा और ना ही किसी प्रकार की प्रतिपूरक राशि देने हेतु आकाशवाणी जोधपुर/ प्रसार भारती/ भारत सरकार उतरदायी होगा।

15- किसी प्रकार का विवाद होने पर उपमहानिदेशक अभियात्रिंकी आकाशवाणी जोधपुर का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

16- फर्म का कार्यालय राजस्थान में होना अनिवार्य है।

17- सुरक्षा के सबंध में सभी संविदा कर्मी प्रदाताओं को राजस्थान में प्राईवेट सिक्युरिटी एजेसीं का कार्य करने के लिए राजस्थान सरकार का office of the director general of police home guard & controlling authority – Rajasthan Jaipur द्वारा जारी private security licence certificate अपलोड करना अनिवार्य होगा जो की इस बिड के परिपेक्ष्य में वैध होना चाहिए। PSARA certificate अपलोड करना अनिवार्य है।

18- उपरोक्त शर्तों को अनुबंध के माध्यम से आकाशवाणी जोधपुर राजस्थान जो इस अनुबंध में प्रथम पक्षकार होगा तथा संविदा कर्मी प्रदाता एजेसी जो इस अनुबंध में द्वितीय पक्षकार के नाम से जाना जाएगी के मध्य 500 के स्टॉम्प पर दितीय पक्षकार द्वारा सम्पन्न करवाया जाएगा।

19- इस अनुबंध के आधार पर कार्य पर भेजे जाने वाले सभी संविदा कार्मिकों का पुलिस वेरिफेकशन प्रमाण इस कार्यालय में जमा करवाना होगा।

20- यदि सेवा प्रदात्ता एजेंसी अपना अनुबंध समाप्त करना चाहती है तो उसे अनुबंध समाप्त करने के लिए कम से कम 60 दिन (02 माह) पूर्व नोटिस देना अनिवार्य है।

(राजेंद्र गांग)
सहायक निदेशक (अभि.)
कृते उप महानिदेशक (अभि.)
सहायक निदेशक (अभि.)
आकाशवाणी, जोधपुर